न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 12/2022

बउनवान

1. बजरंगलाल आयु 70 वर्ष पुत्र श्री नेनू उर्फ नेनगा, जाति गुसांई, निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल, जिला बारां राज0
2. श्रीमति बादाम बाई आयु 65 वर्ष पुत्री श्री जुगलकिशोर पत्नि श्री रमेश जाति गुसांई निवासी भैरूजी की मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बारां **(अपीलांट्स)**

बनाम

1. गोबरीबाई आयु 55 वर्ष पुत्री श्री कन्हैयालाल उर्फ कान्हा पत्नि स्व0 श्री सूरजमल जाति गुसांई निवासी लुहावद पोस्ट लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. श्रीमति सुगना बाई आयु 40 वर्ष पुत्र श्री कन्हैयालाल उर्फ कान्हा पत्नि श्री रामावतार जाति गुसांई निवासी बस स्टैण्ड के पास छतरी मोहल्ला इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
3. श्रीमति शांति बाई आयु 80 वर्ष पत्नि स्व0 श्री कन्हैयालाल जाति गुसांई निवासी मांगरोल जिला बारां राज0
4. रमेशचन्द आयु 52 वर्ष पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल जाति गुसांई निवासी मांगरोल जिला बारां राज0
5. रघुवीर आयु 45 वर्ष पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल जाति गुसांई निवासी मांगरोल जिला बारां राज0
6. सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0) **(रेंस्पोडेंट्स)**

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 2814 दिनांक 26.05.2021 व नामान्तरकरण संख्या 2951 दिनांक 11.01.2022 ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी एडवोकेट **(अपीलांट्स)**
2. श्री कमलदीप सिंह एडवोकेट **(रेंस्पोडेंट्स)**

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

निर्णय दिनांक 31.10.2023

अपीलांट्स की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट बजरंगलाल एवं रेस्पो. के खाते ग्राम मांगरोल की आराजी नया खसरा नंबर 1410 रकबा 0.20 है. पुराना खसरा नंबर 2014 रकबा 17 बिस्वा व आराजी नया खसरा नंबर 621 रकबा 1.43 है. पुराना [illegible] 8 बीघा 19 बिस्वा कुल दो किता कुल रकबा 1.63 है. भूमि खाता संख्या 390 [illegible] र्ड में दर्ज है व खाता संख्या 130 की आराजी नया खसरा नंबर [illegible] 0.08 [illegible] खसरा नंबर 1334 रकबा 0.99 है. के पुराने खसरा नंबर 2039 [illegible] रकबा 6 बीघा [illegible] बिस्वा कुल दो किता [illegible] रकबा 1.07 है. दर्ज है। उक्त आराजी अपीलांट्स व रेस्पोडे[illegible] की पुश्तैनी आराजी [illegible] उक्त आराजी के संबंध में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स के मध्य न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय, बारां में वाद क्रमांक 321/1997 में अन्तिम डिक्री दिनांक 13.03.2001 को जारी हुई। उक्त डिक्री की पालना में कस्बा मांगरोल की आराजी खाता संख्या 390 के खसरा नंबर 1410 रकबा 0.20

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.11.10 13:16:37 IST
Reason: SelfAttested

है. व खसरा नंबर 621 रकबा 1.43 है. कुल दो किता कुल रकबा 1.63 है. पर अपीलांट बजरंगलाल का हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर खातेदार घोषित किया गया तथा कस्बा मांगरोल की आराजी खाता संख्या 130 के खसरा नंबर 1332 रकबा 0.08 है. व खसरा नंबर 1334 रकबा 0.99 है. कुल किता दो रकबा 1.07 है. पर अपीलांट का नाम दर्ज होने से रह गया तथा पुराना नाम कान्हा पुत्र नेनगा ही चलता रहा। राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर नामान्तरकरण संख्या 2814 रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 5 के पक्ष में खुलवाया गया जो वैधानिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां कान्हा अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया उक्त आदेश के विरूद्ध अपील राजस्व मंडल अजमेर में अपील डिक्री/टीए/110/2001/बारां में प्रस्तुत हुई, जिसका निर्णय दिनांक 06.12.2005 को हो चुका है तथा इससे न्यायालय सहायक कलक्टर, द्वितीय बारां का फैसला यथावत रखा गया। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के पिता कान्हा के द्वारा सिविल रिट पीटिशन नंबर 10113/2006 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के यहां पेश की जिसमें अन्तरिम आदेश ''ऑपरेशन आफ आर्डर'' दिनांक 06.12.2005 को स्टे किया गया। इस प्रकार आज भी उक्त आराजी बाबत प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में जैरकार है तथा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है, परन्तु उसका नोट राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी कस्बा मांगरोल के हाल खाता संख्या 130 व 390 पर दर्ज नहीं हुआ है जो विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। मृतक कान्हा के वारिसान को उक्त स्थगन आदेश की पूर्ण जानकारी थी फिर भी कान्हा की मृत्यु के बाद सांठ गांठ कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 2814 खुलवा लिया गया। नामान्तरकरण संख्या 2814 खोलने के तुरन्त बाद ही अपीलांट के खाते में राजस्व रिकार्ड में जमीन दर्ज नहीं हुई उसके पूर्व ही रेस्पो0 क्रम 4 ने गोबरी बाई, शांति बाई व सुगना से अपने पक्ष में हक त्याग करवाकर उसका नामान्तरकरण नंबर 2951 दिनांक 11.01.2022 को खुलवा लिया, उक्त दोनो नामान्तरकरण से अपीलांट के हित प्रभावित हो रहे हैं। अब रेस्पो. क्रम 4 अपना नाम दर्ज होने के आधार पर आराजी हाल खसरा नंबर 1332 व 1334 को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर कस्बा मागरोल के नामान्तरकरण संख्या 2814 व 2951 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन सिविल रिट पीटिशन नंबर 10113/2006 में पारित स्थगन आदेश की जानकारी मृतक कान्हा एवं रेस्पोडेंट्स को थी फिर भी फौती नामा[illegible] दिनांक 26.05.2021 व उसके पश्चात रेस्पो0 क्रम 1 ता 3 द्वारा किये गये हक त्याग [illegible]न्तरकरण संख्या 2951 दिनांक 11.01.2022 गलत तरीके से दर्ज कर[illegible]र की जाकर कस्बा मागरोल के नामान्तरकरण संख्या 2814 व 2951 [illegible] किये जाने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.11.10 13:16:37 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक रेस[illegible]न्ट्स ने कथन किया कि मृतक कान्हा की आराजीयात में अपीलांट का कोई हिस्सा नहीं है। न्यायालय सहायक कलक्टर, द्वितीय बारां द्वारा पारित डिक्री न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने खारिज की। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा पारित आदेश को स्टे

किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने स्टे दिया तब से अपीलांट का हिस्सा नही है। नामा. संख्या 2814 में दो खाते हैं खसरा संख्या 1410 में अपीलांट बजरंगलाल का नाम बदस्तूर है। खसरा नंबर 1410 बजरंगलाल ने बेचान कर दिया। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मृतक कान्हा के हिस्से का नामान्तरकरण खुलवाया। पटवारी ने कान्हा के दोनो खातों का नामान्तरकरण दर्ज कर दिया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन रिट में मृतक कान्हा के वारिसान रिकार्ड पर आ गये। इस भूमि का रेस्पोडेन्ट्स द्वारा रहन बेचान नहीं किया गया। अतः अपील अपीलांट्स निरस्त फरमाई जावे।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय सहायक कलक्टर, द्वितीय बारां द्वारा दिनांक 05.12.2000 को विवादित आराजीयात के संबंध में प्राथमिक डिक्री तथा दिनांक 13.03.2001 को अन्तिम डिक्री जारी की गयी। प्राथमिक डिक्री की अपील में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय बारां का निर्णय अपास्त किया। न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 06.12.2005 से न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय अपास्त कर न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय बारां का निर्णय यथावत रखा। मृतक कान्हा द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय की अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 06.12.2005 के ऑपरेशन को स्थगित किया गया अर्थात् न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय बारां के निर्णय को स्थगित किया गया।

ऐसी स्थिति में जबकि पक्षकारान के मध्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में प्रकरण विचाराधीन है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2814 व 2951 दर्ज करने में त्रुटि की गई है।

अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर कस्बा मांगरोल के नामान्तरकरण संख्या 2814 दिनांक 26.05.2021 एवं नामान्तरकरण संख्या 2951 दिनांक 11.01.2022 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन प्रकरण में पारित निर्णय अनुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.11.10 13:16:37 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)